



निगरानी प्र.क. / 2017

प्रस्तुती दिनांक : 01/09/2017

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर,

कैप इन्दौर



PBR/निगरानी/धार/भू/2017/3479

मधुसुदन पिता भगवान कुलमी

उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि कार्य

निवासी - ग्राम भँवरिया,

तहसील - कुक्षी, जिला - धार म.प्र.

----- अपीलाण्ट/अनावेदक

**विरुद्ध**

(1) ग्राम पिपल्या तहसील कुक्षी के कृषकगण -

अ. विशाल पिता रामेश्वर

उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि कार्य

ब. महेश पिता हिरालाल पाटीदार

उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि कार्य

स. विशाल पिता रामेश्वर

उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि कार्य

द. लोकेश पिता भागचंद गंगवाल

उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि कार्य

य. वासुदेव पिता नारायण पाटीदार

उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि कार्य

र. सुनिल पिता वेनिराम पाटीदार

उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि कार्य

ल. वेनिराम पिता सीताराम पाटीदार

उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि कार्य

व. देवराम पिता सीताराम पाटीदार

उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि कार्य

श. नारायण पिता भिल्या पाटीदार

उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि कार्य

प. शांतिलाल पिता नारायण पाटीदार

उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि कार्य

फ. गौरव पिता कैलाश पाटीदार

उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि कार्य

(2) नायब तहसीलदार महोदय, कुक्षी

तहसील - कुक्षी, जिला - धार म.प्र.

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर  
श्री ...  
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक...-2017  
को प्रस्तुत।

626  
01-09-2017

अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय

----- रेस्पाण्डेंट/आवेदकगण

आवेदन पत्र - निगरानी धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत

माननीय महोदय,

विनम्र निवेदन है कि अपीलाण्ट निम्नानुसार रेस्पाण्डेंट के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करता है कि :-

अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार कुक्षी, तह. कुक्षी जिला धार के राजस्व प्रकरण क्रमांक 19/अ-13/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 21/08/2017 के विरुद्ध यह निगरानी नियत न्याय शुल्क रु. 40/- के साथ प्रस्तुत करता है। अपीलार्थी द्वारा यह निगरानी निर्धारित समय सीमा में की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. PBR/मि/चा/शरा/भाग-अ/3479

तहसील मधुखुदन विरुद्ध श्रीम पिपलिया

जिला खार

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>2.10.2017</p>	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला <u>खार</u>                      के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक <u>21-8-17</u>                      के विरुद्ध श्री <u>श्रीम पिपलिया</u>                      के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.....                      .....रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>अवेदक की ओर से प्रस्तुतकार                      श्री के.के.डी. इंदी अभिभावक उपस्थित।                      शास्त्रिता पर बुना गया। उनका केवल                      यही तर्क है कि तहसील-आयायम                      डाटा. अवेदक का खास्य का अवसर                      समाप्त कर दिया गया। अतः</p>	<p><i>[Handwritten signatures and notes]</i>                      2018.17                      Noted                      24.10.17                      Noted                      4-10-17</p>

आर/क्रि/२०२/अ.श. 2017/3479

(एन२)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>नायब तहसीलदार का निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदन को खास का एक अलग उपकरण द्वारा जारी इस प्रकार से नई दामनाही शि. नही होने से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>3</p> <p>अध्यक्ष</p>